**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)**
**पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.**
**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 10/2017**
**दायरा तिथि : 12.06.2017**
**आदेश तिथि :** 9-4-2018

**प्रार्थीगण :–**

1. दीपाराम पुत्र धनाराम
2. भोमाराम पुत्र भेरूदास

जतिगण मेणा, निवासीगण सेवाडी
तहसील बाली, जिला पाली (राजस्थान)

**ब ना म**

**अप्रार्थी (प्रभावित खातेदार) :–**
तोलाराम पुत्र पेमाजी
जाति मेणा, निवासी सेवाडी
तहसील बाली, जिला पाली राजस्थान

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012**

**आदेश** दिनांक : 9-4-2018

प्रार्थीगण खातेदारान् ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियम–68 के निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत कर धारित सहखातेदारी कृषि भूमि मौजा सेवाडी के खसरा संख्या 3069, 3070, 3071 मे आवागमन के लिए अन्य खातेदार तोलाराम पुत्र पेमाजी जाति मेणा, निवासी सेवाडी की खातेदारी भूमि मौजा सेवाडी के खसरा नंबर 3059, 3060, 3062 की भूमि मे से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में नियमो के नियम–69 के तहत तहसीलदार, बाली एवं भू. अभिलेख निरीक्षक, सेवाडी से मौका निरीक्षण करवाया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त करने के साथ ही प्रभावित खातेदार को आक्षेप/एतराज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तोलाराम ने केम्प कोर्ट सेवाडी दिनांक 12.06.2017 को उपस्थित होकर रास्ता दिये जाने बाबत सहमति दी तथा हस्ताक्षर अंकित किये गये। व दिनांक 04.07.2017 को न्यायालय मे उपस्थित होकर तोलाराम द्वारा सहमति पत्र दिया व राजीनामा पेश किया जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी पक्ष के हस्ताक्षर अंकित है।

इस संबंध मे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक : राजस्व/2017/1651 दिनांक 31.10.2017 के अनुसार ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 3069 रकबा 0.18 हैक्टर व खसरा नंबर 3070 रकबा 0.35 हैक्टर कुल रकबा 0.53 हैक्टर खातेदारी भूमि श्री दीपाराम पुत्र धना जाति मीणा निवासी सेवाडी तह. बाली के नाम से खातेदारी की दर्ज है एवं खसरा नंर 3071 रकबा 0.78 हैक्टर भूमि भोमाराम पुत्र भेरूदास, रमेश कुमार, चेतनदास पुत्रगण खेमाराम वगैरा की खातेदारी भूमि है। उक्त खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। वर्तमान मे आवेदक अपनी खातेदारी भूमि मे खसरा नंबर 3059, 3060 व 3062 के माठ के सहारे–सहारे आना जाना करते है, जो वर्तमान मे मौके पर बन्द है। ग्राम बीजापुर की वर्तमान डी.एल.सी. दर 77700/– प्रति बीघा है। उक्त रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि मे कोई वृक्ष या निर्माण आदि नही है एवं प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है। प्रस्तावित रास्ता पूर्व से कदीमी था। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभिशंषा के अनुसार आवेदक खातेदार द्वारा धारित भूमि मे आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नही होना जाहिर है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार—2

Scanned by CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या 10/2017 अनदान दीपाराम वगैरा बनाम तोलाराम**
**अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील वादी को सुनने के पश्चात प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आवेदक को धारा 251(क)(1)(ख) एवं (ii) एवं नियमो के नियम–69(ii) के अन्तर्गत सेवाडी के ख.नं. 3069, 3070, 3071 की भूमि मे आवागमन हेतु मौजा सेवाडी के खसरा नं. 3059 रकबा 2.04 हैक्टर मे से 4 X 200= 800 व.मी., खसरा नंबर 3060 रकबा 0.64 हैक्टर मे से 4 X 86= 344 व.मी. व खसरा नंबर 3062 रकबा 1.34 हैक्टर मे से 4 X 140= 560 व.मी., कुल ( 1704 वर्गमीटर) नया मार्ग तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप नियमो के नियम–70(ii)(क) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिकर राशि निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं :–

| ख. नं. | कुल क्षैत्रफल (हैक्टर) | रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल (व.मी.) | डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये | देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 77700/– प्रति बीघा की दर से दुगुनी राशि | प्रभावित खातेदार का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 3059 | 2.04 | 4 X 200= 800.मी. | 48.56 | 77696/– | तोलाराम पुत्र पेमाजी जाति मेणा, निवासी सेवाडी |
| 3060 | 0.64 | 4 X 86= 344 व.मी | 48.56 | 33409/– | तोलाराम पुत्र पेमाजी जाति मेणा, निवासी सेवाडी |
| 3062 | 1.34 | 4 X 140= 560 व.मी | 48.56 | 54387/– | तोलाराम पुत्र पेमाजी जाति मेणा, निवासी सेवाडी |
| | योग | 1704 वर्गमीटर | योग | 165492/– | |

अतः राशि रूपये 165492/– अक्षरे एक लाख पैसठ हजार चार सौ बराणवे रूपये अप्रार्थी तोलाराम पुत्र पेमाजी जाति मेणा, निवासी सेवाडी को देय होंगे। अधिनियम की धारा 251(क)(2) के तहत स्वीकृत रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बतौर "रास्ता" राजकीय खाते में दर्ज की जावेगी एवं आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आवेदक को अर्जित नही होगे। प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुसार नक्शे में 1704 वर्गमीटर नया रास्ता की तरमीम के साथ राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावेगा। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रतिकर की राशि प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदार द्वारा आवेदक से प्रतिकर राशि ग्रहण नही करने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि बतौर अमानत तहसील कार्यालय, बाली में जमा करवाई जावेगी तथा तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त राशि प्रभावित खातेदार को उपलब्ध कराई जावेगी।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

तहसीलदार बाली आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि के भुगतान की सुनिश्चितता कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम की कार्यवाही कर पालना प्रतिवेदन नक्शा एवं खतौनी की प्रति सहित प्रस्तुत की जावेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का सेवाडी को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उप - (गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस

आदेश आज दिनांक 1-5-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली

Scanned by CamScanner